

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 20/15

संस्थापन दिनांक :- 30/01/15

फाईलिंग नं. 233504002132015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

नरेंद्र पिता नेपाल जौंजारे,
उम्र 34 वर्ष, निवासी देवठान,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 22.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 16.01.2015 को सुबह 09:10 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम देवठान आमला ससुंद्रा मेन रोड पुलिया के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 23 इंच, चौड़ाई $1\frac{1}{4}$ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 16.01.2015 को प्रधान आरक्षक मंगलमूर्ति को थाना आमला में जरिये टेलीफोन से सूचना मिली कि ग्राम देवठान आमला ससुंद्रा रोड के पास अभियुक्त लोहे की तलवार लहराते आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ के मौके पर पहुंचा जहां अभियुक्त उसे शराब के नशे में हाथ में लोहे की तलवार लहराते आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। अभियुक्त से शस्त्र रखने के संबंध में कागजात नहीं होना बताये जाने पर गवाहों के समक्ष अभियुक्त से तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 30/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत

प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.01.2015 को सुबह 09:10 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम देवठान आमला ससुंद्रा मेन रोड पुलिया के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 23 इंच, चौड़ाई 1¼ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

5 मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 16.01.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वह जरिये टेलीफोन से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ के साथ ग्राम देवठान में आमला ससुंद्रा पुलिया के पास पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में तलवार लहराते आने जाने वाले लोगों को डराते धमकाते मिला। उसके द्वारा अभियुक्त से पूछताछ करने पर कोई लायसेंस न होना बताये जाने पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 30/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-3) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए की तलवार को वही तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त से मौके पर जप्त की थी।

6 कैलाश (अ.सा.-1) एवं भोजराज (अ.सा.-2) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है तथा जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उनके हस्ताक्षर होने से भी इनकार किया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य

उनके कथन से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी कैलाश (अ.सा.-1) एवं भोजराज (अ.सा.-2) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र मंगलमूर्ति (अ.सा.-3) की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 मंगल मूर्ति (अ.सा.-3) ने सूचना प्राप्त होने के उपरांत हमराह स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचना तथा अभियुक्त से गवाहों के समक्ष लोहे की तलवार जप्त कर एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाने वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 03 में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव से इनकार किया है कि उसने गवाहों के समक्ष अभियुक्त से लोहे की तलवार जप्त नहीं की थी। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती 09:10 बजे की गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी 09:20 मिनट पर की गयी है। मात्र 10 मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना असंभव नहीं परंतु अस्वाभाविक है। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपराध क्रमांक लेख है जिससे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उक्त प्रपत्र जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उपरांत तैयार किये गये होंगे। साथ ही विवेचक साक्षी मंगल मूर्ति (अ.सा.-3) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा कथित आयुध की नाप मौके पर की गयी हो और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी उनके कथनों से प्रकट हो रहा है। तब ऐसी स्थिति एकमात्र विवेचक साक्षी के कथनों पर विश्वास कर अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.01.2015 को सुबह 09:10 बजे या उसके लगभग थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत ग्राम देवठान आमला ससुंद्रा मेन रोड पुलिया के पास लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार छुरी जिसकी कुल लंबाई 23 इंच, चौड़ाई $1\frac{1}{4}$ इंच को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त नरेंद्र को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)